



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN:U32201UP1999SGC024928

सं०-463-विप(21)पाकालि/2019-3(3)-वीपी/94

दिनांक: 13 जून, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में निवेशित बन्ध केसेस (Common Question of Law and Facts are involved) में दी जाने वाली फीस का० ज्ञा० सं०-1085-वि०प०(21)/पाकालि/2017-3(3) वी०पी०/94, दिनांक 14.09.2017 के अनुसार भुगतान किया जाता है परन्तु उक्त कार्यालय ज्ञाप में विशेष अपील दायर करने पर विविध व्यय के भुगतान का कोई शुल्क इंगित नहीं है जिससे कि भुगतान प्रक्रिया में कठिनाई उत्पन्न होती है।

अतः उक्त का० ज्ञा० दिनांक 14.09.2017 के अनुक्रम में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ में निवेशित बन्ध याचिकाओं/स्पेशल अपील/रिट याचिका/प्रथम अपील (एफ०ए०एफ०ओ०) दाखिल किये जाने पर विविध व्यय का भुगतान निर्धारित दरों पर एतद्वारा निम्न तालिकानुसार किया जायेगा:-

क्रम सं०	फीस का विवरण	विविध व्यय रू०
1.	प्रथम याचिका में देय फीस	6000/-
2.	एक से अधिक व तीन याचिकाओं तक देय फीस	9000/-
3.	तीन से अधिक व छः याचिकाओं तक देय फीस	12000/-
4.	छः से अधिक व नौ याचिकाओं तक देय फीस	15000/-
5.	नौ से अधिक व बारह याचिकाओं तक देय फीस	18000/-
6.	बारह से अधिक व अट्ठारह याचिकाओं में देय फीस	21000/-
7.	अट्ठारह से अधिक याचिकाओं में देय फीस	24000/-

उक्त प्रस्तावित दरें वित्तीय वर्ष, 2017-18 एवं 2018-19 में लम्बित प्रकरणों में भी अनुमन्य होगी तथा का० ज्ञा० 1085, दिनांक 10.09.2017 में निहित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन)

सं०-463-विप(21)पाकालि/19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त निदेशकगण के निजी सचिव, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल/मध्यान्चल/दक्षिणान्चल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।
4. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)/(वाणिज्य स्कन्ध), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, जे-17, महानगर विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक(लेखा)/लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पाकालि शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
9. समस्त उप विधि अधिकारी, सहायक विधि अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त अनुभाग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (मु०), लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता, (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को पावर कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(चंद्रोदय कुमार)

एच०जे०एस०

विधि अधिकारी